



● बीआरकेजीबी एस.एम.ई.ऋण योजना

1	उद्देश्य	उत्पादन / निर्माण प्रक्रिया में आवश्यक स्थायी सम्पत्तियों के अर्जन हेतु आवधिक ऋण व कार्यशील पूंजी हेतु अधिविकर्ष सुविधा उपलब्ध करवाना
2	सीमा	अधिकतम ₹10 लाख – ग्रामीण क्षेत्र ₹50 लाख – अर्द्धशहरी क्षेत्र ₹.100 लाख – शहरी क्षेत्र (न्यूनतम ₹.5 लाख)
3	पात्रता	एकलस्वामित्व, साझेदारी फर्म, प्राईवेट/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी जो किसी भी प्रकार के मदों/सामान के उत्पादन/ निर्माण हेतु नई इकाई स्थापित करना चाहते हैं या स्थापित इकाई के संचालन हेतु कार्यशील पूंजी की आवश्यकता हो।
4	प्रतिभूति	1.प्राथमिक:-फैक्टरी भूमि एवं भवन का साम्यक बंधक एवं/या प्रवर्तक की अन्य अचल सम्पत्ति (भूमि एवं भवन) का साम्यक बंधक 2. सभी प्रवर्तक निर्देशक की व्यक्तिगत गारण्टी। 3. तृतीय पक्ष की व्यक्तिगत गारण्टी।
5	मार्जिन	साम्यक बन्धक हेतु प्रस्तावित सम्पत्ति के बाजार मूल्य का 40%
6	समय अवधि	आवधिक ऋण – 60 माह से 84 माह अधिविकर्ष ऋण-12 माह (वार्षिक समीक्षाधीन नवीनीकरण योग्य)
7	ब्याज दर	समय समय पर प्रधान कार्यालय द्वारा जारी परिपत्रानुसार
8	प्रोसेसिंग प्रभार	समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार प्रभावी